

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

## // विविध-आदेश //

### (कार्य-विभाजन में संशोधन क्र0-4)

क्रमांक.....94...../  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 13 / 07 / 2023

श्रीमती संगीता मदान, दशम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण एवं पदोन्नति अति0 प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय इंदौर के पद पर होने तथा उनके स्थान पर किसी भी न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो-1-1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक 12 श्रीमती संगीता मदान, 10 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ क्रमांक 02 में रिक्त न्यायालय लेख करते हुये एवं स्तम्भ क्रमांक 03 एवं 04 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

02. सरल क्रमांक 6 में निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
1	2	3	4
6	सुश्री पद्मा जाटव, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सत्र खण्ड रीवा	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपील, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2-जिला मुख्यालय रीवा के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रैप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)

3. परिशिष्ट-अ के सरल क्रमांक 10 लगायत 14 को विलोपित किया जाता है।

4. परिशिष्ट-अ की कंडिका 10 लगायत 13 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
1	2	3
10	अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. नवम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
11	09वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 11 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
12	11वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
13	12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रीवा	1. चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

शेष आदेश यथावत रहेगा।

5. कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 216/दो-1-1/2000 दिनांक 17.05.2023 के पृष्ठ क्रमांक 24 के कंडिका क्रमांक 8 में निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

8. मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारु रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति संबंधी प्रतिभूति आवेदन पत्र (रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या के अपराधों व उनके साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि० 2012) से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं महिलाओं के विरुद्ध विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, बलात्कार सहित हत्या एवं अन्य अपराध) से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्रों को सुनवाई व निराकरण हेतु भेजे जावेंगे जो स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरूप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके कार्यविभाजन पत्रक अनुसार अनुपस्थित में पीठासीन अधिकारी कार्य देखेंगे।

(सुबोध कुमार जैन)


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक...2838.../  
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 13 / 07 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म०प्र०।
4. फाईलिंग काउंटर, रीवा।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जू०सि०ए०/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रीवा (म०प्र०)